बिहार सरकार

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

(भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)

संख्या :– 17–मु0लेखा–बंदो0(वाहन)–02/2012-153 पटना, दिनांक :– 24-01-2013

# कार्यालय आदेश

भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय, बिहार सर्वेक्षण कार्यालय, गुलजारबाग, पटना एवं उसके नियंत्रणाधीन बंदोबस्त कार्यालयों यथा नालंदा, सारण, भागलपुर, मुंगेर, शेखपुरा, बेगूसराय, लखीसराय, खगड़िया, जमुई, सिवान, पूर्णिया, कटिहार एवं मोतिहारी के लिए किराये पर वाहन रखने हेतु दिनांक 02.12.12 को हिन्दुस्तान एवं दैनिक जागरण समाचार पत्र में प्रकाशित निविदा के आलोक में प्राप्त निविदा के आधार दिनांक 18.12.12 को सचिव–सह–निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा वाहन का प्रतिमाह किराया बिना ईंधन/ईंधन सहित एवं चालक सहित/रहित किराया न्यूनतम दर पर सशर्त्त स्वीकृति प्रदान की गई है जो निम्नवत है :–

| क्र0 सं0 | एजेंसी का नाम | वाहन का प्रति माह किराया बिना ईंधन का | | | | | | वाहन का प्रति माह किराया ईंधन सहित | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | स्कॉरपियो | सुमो | इन्डिगो | टाटा सफारी | बोलेरो | XUV | स्कॉरपियो | सुमो | इन्डिगो | टाटा सफारी | बोलेरो | XUV |
| **वाहन का चालक सहित किराया निम्न प्रकार है –** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | मेसर्स यस सर्विसेज, कृष्णा नगर, रोड नं0–21, पटना–1, | 24000 | 18500 | — | 29000 | 18000 | — | — | — | — | — | — | |
| 2 | श्री रंजन कुमार बी.एच. कॉलनी, पटना – 26 | 24000 | — | 21500 | 29000 | — | 35000 | 35000 | 28500 | 28500 | 40000 | 28500 | 45000 |
| **वाहन का चालक रहित किराया निम्न प्रकार है –** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | श्री रंजन कुमार बी.एच. कॉलनी, पटना – 26 | 17500 | 14500 | 15000 | 22500 | 14400 | 28500 | 28500 | 22000 | 22000 | 33500 | 22000 | 38500 |

1. यह आदेश किराये पर वाहन लेने की तिथि से एक वर्ष के लिए मान्य होगी तथा इसे कभी भी बिना कोई कारण बताए पाँच दिन का नोटिस देकर रद्द किया जा सकता है।
2. वाहन का मासिक किराया के अतिरिक्त कोई भी कर या शुल्क देय नहीं होगा। नियमानुसार अनुमान्य TDS को कटौती की जाएगी।
3. वाहन की मरम्मति आदि का खर्च तथा चालक के भुगतान करने का खर्च आपूर्तिकर्त्ता को ही व्यय करना होगा।
4. प्रतिमाह 1800 कि0मी0 से अधिक चलने पर 6/= रूपये प्रति कि0मी0 की दर से भुगतान किया जाएगा।

5. कार्यालय द्वारा सरकारी चालक उपलब्ध कराये जाने पर 6500/= रूपये प्रतिमाह किराये से कम निर्धारित भुगतान किया जाएगा।

6. बिना ईंधन की गाड़ी लेने पर 8 कि0मी0 प्रति लीटर की दर से ईंधन की आपूर्ति कार्यालय द्वारा की जाएगी।

7. एजेंसी द्वारा सभी गाड़ी ए0सी0 उपलब्ध करायी जाएगी।

8. ईंधन की मूल्य में वृद्धि होने पर ईंधन दर में वृद्धि के अनुपात में किराये की वृद्धि की जाएगी।

9. यदि उल्लेखित दर से कम दर पर जिला में वाहन उपलब्ध होता है तो वाहन किराया पर लेने हेतु संबंधित कार्यालय के कार्यालय प्रधान सक्षम होंगे।

9. वित्त विभाग के पत्रांक 15698/वि0(2) दिनांक 06.11.12 के आलोक में बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम लि0 से दर न्यूनतम रहने के कारण वाहन प्राईवेट एजेंसी से लिया गया।

10. वाहन के उपयोग हेतु 24 घंटा बंदोबस्त पदाधिकारी/प्रभारी पदाधिकारी के समक्ष वाहन उपलब्ध रखना होगा।

11. वाहन उपलब्ध कराने वाले एजेंसी को Security Money से रूप में 10,000/—रूपया जमा करना होगा।

12. एजेंसी द्वारा आपूर्ति किए गए वाहन में खराबी होने पर तुरन्त दूसरे वाहन की व्यवस्था करनी होगी। ऐसा नहीं करने पर जितने दिन वाहन खराबी अथवा चालक की अनुपस्थिति के कारण वाहन उपयोग में नहीं लाया जा सकेगा उतने दिन के लिए अनुपातिक भाड़े का भुगतान नहीं किया जाएगा।

13. प्रस्ताव में वित्त विभाग, बिहार, पटना की सहमति प्राप्त है।

14. प्रस्ताव एवं कार्यवाही पर विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/—
**(हुकुम सिंह मीणा)**
सचिव—सह—निदेशक
भू—अभिलेख एवं परिमाप
बिहार, पटना।

**ज्ञापांक** :— 17—मु0लेखा—बंदो0(वाहन)—02/2012-153 **पटना, दिनांक** :— 24-01-2013

**प्रतिलिपि** :— बंदोबस्त पदाधिकारी, नालंदा, सारण, भागलपुर, मुंगेर, शेखपुरा, बेगूसराय, लखीसराय, खगड़िया, जमुई, सिवान, पूर्णियाँ, कटिहार एवं मोतिहारी/उप निदेशक, बिहार सर्वेक्षण कार्यालय, गुलजारबाग, पटना — 7 एवं सहायक निदेशक, भू—अभिलेख एवं परिमाप, बिहार ,पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/—
**(हुकुम सिंह मीणा)**
सचिव—सह—निदेशक

**ज्ञापांक** :— 17—मु0लेखा—बंदो0(वाहन)—02/2012 153 **पटना, दिनांक** :— 24-01-2013

**प्रतिलिपि** :— मेसर्स यस सर्विसेज, कृष्णा नगर, रोड नं0 — 21, पटना — 1 एवं श्री रंजन कुमार, बी0एच0 कॉलनी, पटना—26 को वाहन की व्यवस्था हेतु प्रेषित।

24/1/2013
**(हुकुम सिंह मीणा)**
सचिव—सह—निदेशक